गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर।

ई–पंजीकरण की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित/निर्मित पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर स्थित रिक्त कियास्क संख्या–03 तथा 04 व डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क (निकट तारामण्डल) स्थित कियास्क सं0–01 तथा 02 का ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दि0– 18/11/2025 से दिनांक 30/11/2025 तक पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि मे आनलाईन पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई–नीलामी की सूचना अलग से दी जायेगी। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम,शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। जिसपर इच्छुक व्यक्ति आनलाईन पंजीकरण करा सकते हैं।

(पुष्पराज सिंह)
सचिव।

(आनन्द वर्द्धन)
उपाध्यक्ष।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पार्क स्थित कियास्क सं0–03 तथा 04 एवं रामगढ़ताल परियोजना अन्तर्गत डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क में स्थित रिक्त कियास्क संख्या–01 तथा 02 का ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर ।

(वितिय वर्ष 2025–26 के आधार पर)

सम्पत्ति का विवरणः–

योजना का नाम	कियास्क संख्या	प्रति कियास्क का क्षेत्रफल	न्यूनतम आरक्षित किराया प्रतिमाह	जमानत धनराशि
पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पार्क	03 तथा 04	6.44 वर्गमीटर	रू0–22,838.00	रू0–2,28,380.00
डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क (रामगढ़ताल)	01 तथा 02	16.91 वर्गमीटर	रू0–24,047.00	रू0–2,40,470.00

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर निर्मित कियास्कों तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क स्थित कियास्कों का ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत् है:–

1– कियास्क का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षो के लिए किराये पर किया जायेगा। प्री–विडिंग की प्रकिया लागू होगी।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पार्क स्थित कियास्क के लिए रूपया–2,28,380.00 तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क स्थित कियास्क के लिए रू0–2,40,470.00 जमानत धनराशि जमा करना होगा।

3– पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पार्क स्थित कियास्क का न्यूनतम किराया प्रतिमाह रूपया–22,838.00 तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क स्थित कियास्क का न्यून्तम किराया प्रतिमाह रूपया–24,047.00 है। विड की बोली रू0–500.00 से कम की नहीं होगी।

4– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलामी मे भाग ले सकेगा।

5– निविदा की वोली मे प्रतिस्पर्घात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास,प्राधिकरण, गोरखपुर मे निहित होगा।

6– कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम वोलीदाता के पक्ष मे किया जायेगा।

7– कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 15% की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

8– निरन्तर 04 माह तक किराये की धनाशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

9– कियास्क के 06 माह का किराया अग्रिम के रूप मे जमा करना होगा,जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10– कियास्क का 06 माह का किराया अग्रिम के रूप मे जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा।

11– आवंटित कियास्क का अधिकतम 03 माह के अन्दर इकरारनामा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।

12– नीलामी मे असफल आवेदक को उनके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1000.00 मात्र की कटौती करते हुए वापस कर दी जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नही होगा।

13– कियास्क मे खाद्य पदार्थ/खिलौना/आइसकीम आदि का व्यायापर अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि का व्यापार अनुमन्य नही होगा। निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

14– कियास्क मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पुर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त

करते हुए कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

15– किसी भी शासकीय कर आदि के भुगतान का दायित्व आवंटी का होगा।

16– कियास्क मे जल व विद्युत का कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस–पास साफ–सफाई रखने का दायित्व आवंटी का होगा।

17– कियास्क का आवंटन हो जाने के पश्चात् इकरारनामा के पूर्व आंवटी को अपना बैक विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा,जिसके माध्यम से आंवटित कियास्क का मासिक किराया का भुगतान आटो डेंबिट के माध्यम से करना होगा।